Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 5 | ISSN : 2582-0095

उच्च–शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता–संवर्धन और नयी शिक्षा नीति : सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ

डॉ. विशाल श्रीवास्तव
प्राध्यापक–हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, पचवस, बस्ती, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 5, Issue 5
Page Number : 47-51

Publication Issue :
September-October-2022

Article History
Accepted : 01 Oct 2022
Published : 15 Oct 2022

शोध–संक्षेप– भारत में नयी शिक्षा नीति–2020 का लागू होना एक महत्वपूर्ण परिघटना है। ऐसा इसलिए है कि इस बार किये जा रहे परिवर्तन शिक्षा–व्यवस्था के आधारभूत ढाँचे को पूर्णतया परिवर्तित करने के उद्देश्य से किये गये हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च–शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर नवोन्मेष का प्रयास इस नीति में किया गया है। विशेषतः, उच्च शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को एक लचीला वातावरण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें न केवल अन्तर–आनुशासनिकता है, व्यावसायिक अन्तर्दृष्टि है बल्कि विभिन्न स्तरों पर निकास एवं प्रवेश का विकल्प भी समाहित है। शोध–पाठ्यक्रम हेतु नये प्रारूप एवं शैक्षणिक संस्थानों के मध्य अकादमिक आवाजाही के विविध आयाम भी इस नीति में समाहित किये गये हैं। भाषा शिक्षण एवं स्थानीयता जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी यह नीति ढूँढने का प्रयास करती है। इस शोध–पत्र के माध्यम से जो अध्ययन प्रस्तावित है, उसके माध्यम से इन सभी स्तरों पर नयी शिक्षा नीति को विश्लेषित करते हुए इन परिवर्तनों के प्रभाव और नये प्रस्तावों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया जायेगा

बीज–शब्द : नयी शिक्षा नीति, उच्च–शिक्षा, भाषा–शिक्षण, बहुविषयकता, अन्तर–आनुशासनिकता, कौशल–विकास, समग्र–विकास, स्वायत्तता

भारत की नयी शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप हम सभी के सामने है। इसकी प्रस्तावना में समानता, समावेशन और सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता की बात कही गयी है। भारत की जातीय, भाषिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच एक सर्वसमावेशी और समांग शिक्षा के ढाँचे की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिस समग्र विकास और गतिशीलता का स्वप्न भारत के सन्दर्भ में देखा जाता है, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

भारत की जिन विविधताओं की बात ऊपर की गयी है, वे इस क्रियान्वयन के समक्ष एक बड़ी चुनौती हैं। इनमें से हर विविधता हमारे सामने एक अलग तरह की चुनौती लेकर सामने आती है। भाषा का प्रश्न इनमें से एक बड़ा प्रश्न है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित किया जाय, यह सवाल लम्बे अरसे से शिक्षा नीति के विमर्श के केन्द्र में रहा है। उपनिवेशवाद के प्रभाव में बड़े पैमाने पर भारतीय शिक्षा पद्धति का अंग्रेजीकरण हो चुका है। यह प्रभाव इतना गहरा है कि बच्चों को अच्छी अंग्रेजी आना और मातृभाषा या

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

हिन्दी कमज़ोर होना आज एक अतिरिक्त गर्व का विषय है। इस सन्दर्भ में हमें अपने आस–पास के उदाहरणों को देखना चाहिए कि एशिया के ही देश जैसे जापान और चीन अपनी मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षित करते हैं और वे विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में हमसे कहीं आगे हैं। प्रो. यशपाल कमिटी के सुझावों में भी कहा गया है कि मातृभाषा में ही शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। नयी शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि 'जहाँ तक सम्भव हो' प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित किया जाय। यह प्रावधान अपने आप में विभाजनकारी है क्योंकि जब आप अंग्रेजी में अध्यापन का विकल्प खुला रखते हैं तो स्पष्ट रूप से समाज दो हिस्सों में बँट जायेगा। सरकारी स्कूल का बच्चा हिन्दी पढ़ेगा और निजी स्कूलों का अंग्रेजी, इससे ग्रामीण और शहरी बच्चों में अंतर और ज्यादा बढ़ेगा। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष आठ लाख, पिछले वर्ष 10 लाख और 2018 में 11 लाख विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में हिन्दी की परीक्षा में असफल रहे। यह आंकड़े बताते हैं कि हम अपनी मातृभाषा और खासकर हिन्दी के शिक्षण के प्रति कितने लापरवाह हैं। राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में हालिया सालों में बड़े स्तर पर स्वरूप परिवर्तन किया गया है। सी–सैट के समावेश के कारण इनमें अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ गया है। यह अनायास नहीं है कि प्राथमिक कक्षाओं से ही हिन्दी के प्रति अरुचि और अंग्रेजी के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इस दोहरी नीति को बदले जाने की जरूरत है, जिसमें एक ओर तो अंग्रेजी को निरंतर मुख्यधारा की भाषा बनाया जा रहा है और दूसरी ओर मातृभाषा के संरक्षण की बात कह दी जा रही है।

नयी शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही यह भी कहा गया है कि ज्ञान क्षेत्रों के बीच असम्बद्धता को समाप्त करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके लिए बहुविषयक मल्टीडिसिप्लनरी एवं समग्र शिक्षा का विकास किये जाने की बात कही गयी है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि कला और विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच के अंतर को कम करने और उन्हें मिश्रित विकल्प देने की बात है। उदाहरण के लिए मानविकी के विद्यार्थी को कोई तकनीक आधारित विषय भी साथ में पढ़ने दिया जा सकता है और विज्ञान का विद्यार्थी साथ में कोई भाषा या सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ सकता है। यह एक अच्छा प्रस्ताव है, जिससे वर्षों से रूढ़ हो चुके पाठ्यक्रमों में लचीलापन आयेगा और विद्यार्थियों में रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की क्षमता का विकास होगा।

नयी शिक्षा नीति में तकनीक पर ज़ोर दिया गया है। तकनीक और विशेषतः संचार इधर के समय में महत्वपूर्ण प्रत्यय के रूप में हमारे बीच मौजूद हुए हैं, जिसका कोई विकल्प अब सम्भव नहीं है। हमारा समाज अब पूरी तरह इनपर निर्भर है और चाहते न चाहते हमें इनको सीखना ही पड़ता है। शिक्षा में तकनीक का प्रयोग हालिया आपदा के समय में अधिक प्रभावी ढंग से रेखांकित हुआ है। विद्यार्थियों को बिना परिसर में बुलाये उनके साथ संवाद करते हुए उनके अध्ययन कार्य को चलाए रखने में तकनीक की मदद को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इसकी सीमाएँ भी रही हैं और भारत में एक बड़े वर्ग के संसाधन सम्पन्न न होने के कारण इसकी उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न भी लगा है, तथापि इससे इंकार नहीं किया जा सकता है विपरीत परिस्थितियों में यह प्रविधि अत्यंत प्रभावशाली रही है। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक ई–कन्टेंट के निर्माण से विद्यार्थियों के लिए काफी आसानी हुई और उनकी पहुँच गुणवत्तापूर्ण सामग्री तक बढ़ गयी है।

नयी शिक्षा नीति में संस्थानों को लेकर स्वायत्तता, सुशासन एवं सशक्तीकरण की बात कही गयी है। प्रस्ताव है कि चुनिंदा संस्थानों को स्वायत्तता दी जाय, जिससे वे संसाधन जुटाने से लेकर पाठ्यक्रम निर्धारण तक के स्तरों पर पूरी तरह स्वतंत्र हो सकें। मुख्यतः उच्च शिक्षण संस्थानों को इस दायरे में रखते

हुए उनकी तीन श्रेणियाँ बनाये जाने की बात है। उच्चतर शिक्षा के विखण्डन को समाप्त किया जाना। प्रस्ताव है कि बड़े और बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई क्लस्टर की स्थापना की जाय जिनमें न्यूनतम 3000 या उससे अधिक विद्यार्थियों का उत्थान होगा। विश्वविद्यालय और स्नातक कॉलेज के बीच स्पष्ट विभेद के साथ शिक्षण संस्थानों का वर्गीकरण भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित है। यह भी प्रावधान किया गया है कि सम्बद्ध महाविद्यालय की अवधारणा समाप्त कर या तो स्नातक डिग्री देने वाले स्वायत्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों के घटक महाविद्यालय के रूप में उनको स्तरीकृत किया जाय। इस प्रस्ताव से पहली श्रेणी के संस्थानों को तो लाभ हो सकता है लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में बड़ी संख्या में जो संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं और जहाँ अपेक्षाकृत रूप से विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती है, ऐसे संस्थानों की स्थिति अच्छी नहीं रह जायेगी। इसी शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने की बात कही गयी है। यदि कम छात्रसंख्या वाले संस्थान बंद होते हैं तो इसका सीधा असर नामांकन पर पड़ेगा क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी भौगोलिक दूरी के कारण भी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

एकेडमिक क्रेडिट का प्रावधान इस नयी शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीन या चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम की बात कही जा रही है, जिसमें मल्टीपल एन्ट्री/एग्जिट सम्भव होगी। एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन साल के बाद डिग्री और चार साल पर शोध सहित स्नातक का प्रावधान किया गया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दो साल का, एक साल का या पांच साल का एकीकृत रूप में होगा। पीएचडी हेतु स्नातकोत्तर या चार साल के स्नातक कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है और अब तक चले आर रहे एम.फिल. पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ये प्रस्ताव निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं और लम्बे अरसे से इसकी मांग की जा रही थी। इन विकल्पों से उन छात्रों को फायदा होगा जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या रोजगार के दूसरे अवसरों की ओर जाना चाहते हैं। पहले उनकी डिग्री अधूरी रह जाया करती थी, किन्तु अब ऐसा न होकर उन्हें अवधि के अनुरूप उपाधि प्राप्त हो जायेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों के रुझान को देखते हुए शोध के इच्छुक विद्यार्थी अपनी दिशा पहले से ही तय कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये प्रावधान आ जाने के कारण एम.फिल. पाठ्यक्रम पहले ही अपनी उपादेयता खो चुका था, उसे समाप्त कर देना ही उचित था।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को अपने परिसर खोलने की मंजूरी दी गयी है एवं एसईडीजी को अकादमिक एवं आर्थिक सहायता पर ज़ोर दिया गया है। यहाँ कुछ लाभकारी बातों के साथ चिंता का विषय यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के आने से शिक्षा के कारपोरेट स्वरूप में और अधिक वृद्धि होगी, जिससे निम्न आय वर्ग के वंचित तबके के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना मुश्किल होगा। यह भी विचार का विषय है कि हाल के वर्षों में प्राविधिक और तकनीकी शिक्षा में जिस तरह बेतहाशा शुल्क की वृद्धि की गयी है, उससे मध्यवर्ग के सामने बड़ी चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी।

इसी प्रकार ग्रेड 6 से 8 तक के बच्चों को कौशल सीखने पर जोर, बढ़ई, माली, कुम्हार के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करने का अनुभव की बात कही गयी है। यह एक उत्साहवर्द्धक कदम है। महज किताबी शिक्षा ने बच्चों को प्रकृति और समाज से लगातार दूर किया है। इस प्रावधान से न सिर्फ वे कौशल में पारंगत होंगे बल्कि समाज से उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा। साथ ही, स्कूली शिक्षा में एनसीईआरटी की पुस्तकों का प्रयोग तथा एक शिक्षण वर्ष में दो बोर्ड परीक्षाएँ, मुख्य और सुधार कराये जाने का प्रावधान है जो स्वागतयोग्य है।

नयी शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए भी कई नये प्रावधान हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवा शिक्षण में आएं उसके लिए चार साल के एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन हेतु मेरिट आधारित छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए स्कूल परिसर के पास आवास या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास भत्ते की वृद्धि की बात कही गयी है। साथ ही, कुछ विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, जो लर्निंग डिसएबिलिटी वाले बच्चों को शिक्षित कर सकें। एसईडीजी – सामाजिक आर्थिक वंचित समूह के कम नामांकन एवं ड्रापआउट, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, अल्पसंख्यक वर्ग आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन वर्गों हेतु लक्षित छात्रवृत्ति, साइकिल एवं नकद हस्तांतरण का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण की बात कही गयी है और वंचित क्षेत्रों में नवोदय व केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण का प्रावधान किया गया है। शिक्षा नीति में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों के महाविद्यालयों में एनसीसी विंग खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को रक्षा सेवा में शामिल किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के कम छात्र संख्या के विद्यालयों हेतु स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर की व्यवस्था करते हुए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। ये सभी प्रस्ताव स्वागतयोग्य हैं किन्तु यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के निर्माण से असेवित क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या में कमी न आए और नामांकन में गिरावट न हो।

इस शिक्षा नीति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। यह एक ध्यान दिये जाने लायक तथ्य है कि भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान एवं नवाचार निवेश जीडीपी का 0.69 प्रतिशत है। सरकारी उच्चतर संस्थानों के वित्त पोषण एवं स्वायत्तता की स्थिति पर अभी भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। नयी शिक्षा नीति में निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की स्थिति को और स्पष्ट होना चाहिए। यह भी प्रतीत होता है कि लैंगिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एसईडीजी की कम हिस्सेदारी का प्रश्न है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। यह भी एक खतरनाक तथ्य है कि एआईसीटीई के अनुसार विगत वर्षों में 762 सरकारी संस्थान बन्द किये जा चुके हैं, 69000 सीटें कम की गयीं और नये प्राइवेट संस्थानों में 39000 नयी सीटें बढ़ीं। हम सभी यह जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतम निर्भरता सरकारी सिस्टम पर है, ऐसे में यह आवश्यक है कि नये प्रावधानों के साथ नयी शिक्षा नीति इन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशे, जिससे भारत की प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति निर्बाध रूप से जारी रह सके।

सन्दर्भ–सूची :

1. नयी शिक्षा नीति प्रारूप
   https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
2. दैनिक हिन्दुस्तान, समाचार–पत्र
3. द हिन्दू, समाचार–पत्र
4. Inclusive and Qualitative Expansion of Higher Education :Compilation Based on the
5. Deliberations of the Working Group for Higher Education in the 12th Five-Year Plan (2012-17), University Grants Commission, New Delhi, November 2011.
6. Higher Education in India: Issues, Concerns and New Directions, U.G.C. New Delhi, December 2003.

7. Justice J.S. Verma, Significance of Ethics in Education, UGC Golden Jubilee Lecture Series, UGC, December 2003.
8. Prof. Yash Pal, Reinventing Education For An Inclusive World, Golden Jubilee Lecture Series, UGC, December 2003.
9. Kali Charan Pandey, “Is Higher Education a Profession in Crisis?”